भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3863**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

3863 श्री पी.पी. सुनीरः
श्री नीरज शेखरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2026 में यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा की है, जिसे ऐतिहासिक समझौता (मदर ऑफ ऑल डील्स) कहा गया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस समझौते से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों / उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि हाँ, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भविष्य में व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता के समापन की घोषणा की। आधुनिक, नियम-आधारित व्यापार साझेदारी के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह मुक्त व्यापार समझौता समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहन बाजार एकीकरण को सक्षम बनाता है। भारत और

यूरोपीय संघ के 2 बिलियन लोगों के लिए अभूतपूर्व अवसर लाने वाले, 2091.6 लाख करोड़ रुपये (24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक के अनुमानित संयुक्त बाजार के साथ, यह मुक्त व्यापार समझौता व्यापार और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण क्षमता के द्वार खोलता है। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता वस्तुओं, सेवाओं, व्यापार उपचारों, उत्पत्ति के नियमों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों को भी कवर करता है।

(ग) और (घ) यह समझौता भारतीय वस्तुओं के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य के हिसाब से भारत के निर्यात के 99% से अधिक को कवर करता है, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करता है और भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप है। इसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण बनाना, अच्छी नियामक परिपाटियों को बढ़ावा देना और पारदर्शिता बढ़ाना है, जो भारत में व्यापार करने में आसानी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए चल रहे घरेलू सुधारों के अनुरूप है। भारत-यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों और उद्योगों में श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे कि वस्त्र और परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और फुटवियर, रसायन, प्लास्टिक और रबर, खेल के सामान, खिलौने और रत्न और आभूषण। इन प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों में 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात, जिन पर वर्तमान में यूरोपीय संघ में 4% से 26% तक आयात शुल्क लगता है, को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त होगी, और समझौते के लागू होने की तारीख से इसका एक बड़ा हिस्सा शून्य शुल्क पर यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश करेगा।

इसके अतिरिक्त, मूल धातु, इंजीनियरिंग सामान (जिसमें रेलवे, विमान, जहाज और नौकाएं शामिल हैं), फर्नीचर और लाईटिंग तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को भी टैरिफ उदारीकरण अनुसूचियों के तहत बेहतर बाजार पहुंच से लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, चाय, कॉफी, मसाले, अंगूर, अचार और खीरे, सूखे प्याज, ताजे फल और सब्जियां, और भेड़ और मेमने का मांस जैसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी यूरोपीय संघ के बाजार में अधिमान्य पहुंच प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीण आय और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। सेवा क्षेत्र में, आईटी/आईटीईएस, पेशेवर सेवाएं, शिक्षा और अन्य व्यावसायिक सेवाओं को विस्तारित बाजार पहुंच संबंधी प्रतिबद्धताओं, बेहतर नियामक निश्चितता और पेशेवरों के लिए संवर्धित मोबेलिटी के प्रावधानों के कारण महत्वपूर्ण रूप से लाभ होने की उम्मीद है। समग्र रूप से, इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत के निर्यात प्रदर्शन को मजबूती मिलने, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन मिलने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण गहराने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। लाभों के पूर्ण ब्यौरे के लिए पीआईबी का लिंक निम्नवत है:-

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2219065&reg=3&lang=1
